

29/11/2022

प्रावली पेश हुई। वकील पद्मकान्त शर्मा  
ने ही है न्यायालय में आज तीन-तीन बार  
आवें जावें पर भी साथ तक प्रावली  
में जारी नहीं आने पर प्रावली अंतर्गत  
0-3, R-3 जो. फ. के तहत अद्वय जारी व  
अद्वय फॉर्मों में खाति की गयी है। प्रावली  
फॉर्मल सुधार की जाकर संबर में रम ठेकर  
राखिल इण्टर ही निर्णय सुले न्यायालय में  
सुनाया जाकर मेरे उत्तराधिकार व न्यायालय वृत्त  
में जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर  
सांभर लेक (जयपुर)

